

अन्तिम डिक्री मुकदमा  
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. श्याम स्वरूप पुत्र चन्द्र प्रकाश
2. हरिओम पुत्र चन्द्र प्रकाश जाति मीणा निवासीगण पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा  
- वादीगण

बनाम

1. चन्द्र प्रकाश पुत्र देवलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-88 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर-58/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु मुझ तारामती वैश्याक आर.ए.एस. वहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई रुबरु श्री रामबाबू दाध्रीच एडवोकेट मिनजानिव मुद्दालयह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि " वाद वादीगण मुताकिह राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नांकिडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 51 रकबा 1.52 हे0, ख0नं0 57 रकबा 3.70 हे0 कुल कित्ता 2 रकबा 5.22 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/3, वादी नं0 1 श्याम स्वरूप हिस्सा 1/3, वादी नं0 2 हरिओम हिस्सा 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है। " तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 10.04.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैश्याक)  
सहायक कलक्टर,  
दीगोद